राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 558 / 2024

संतोष कुमार सुनारीवाल —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1), जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर।
3. उप खण्ड अधिकारी, करेडा, जिला भीलवाड़ा।
4. उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पटवारी के पद पटवार मंडल नेवदाकलां, तहसील केकड़ी जिला अजमेर में दिनांक 04.11.1999 को हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.08.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार, सुमेरपुर, पाली से कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार, एसडीएम कार्यालय, करेड़ा, भीलवाड़ा में रिक्त पद पर किया गया, जिसकी अनुपालना में दिनांक 21.08.2023 को कार्यग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार, झाडोल जिला उदयपुर में किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 6 माह की अल्पावधि में किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति के विपरीत है। राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति एवं राजस्व मंडल के परिपत्र दिनांक 30.10.1993 (अनुलग्नक–4) के द्वारा स्पष्ट अंकित किया गया है कि कार्मिक का स्थानान्तरण एक तहसील से दूसरी तहसील में

अथवा एक हलके से दूसरे हलके में दो वर्ष पूर्व संभागीय आयुक्त से अनुमति प्राप्त कर स्थानान्तरण किया जा सकता है। राज्य सरकार एवं प्रतयर्थी की स्पष्ट स्थानान्तरण नीति है कि कार्मिकों का स्थानान्तरण 2 वर्ष नहीं किया जाना चाहिए। 2 वर्ष से पूर्व कार्मिक का स्थानान्तरण केवल शिकायत के आधार पर या कर्मचारी के पदोन्नति पर किया जा सकता है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि ना तो अपीलार्थी की पदोन्नति हुई है ना ही अपीलार्थी के विरूद्ध कोई शिकायत ही है। अपीलार्थी की माता काफी वृद्ध है जो अपीलार्थी पर ही आश्रित है। अपीलार्थी 02 छोटे बच्चे है, जो अध्ययनरत है। अपीलार्थी के स्थानान्तरण से अपीलार्थी के बच्चों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 6507/2019 डॉ. संजय प्रभूणे बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2019 एवं माननीय अधिकरण में दायर एस.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 5637/2021 परमेश्वर सुथार एवं राजस्व विभाग में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2021 के द्वारा स्थगन प्रदान किया गया है, का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण भी समान बताया है (अनुलग्नक–5 व 6)।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में अध्यापक ग्रेड–III के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नांद ब्लॉक, अजमेर में कार्यरत है। राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति है कि यदि पति–पत्नी दोनों राज्य सेवा में सेवारत है तो उन्हें यथासंभव एक ही स्थान अथवा आसपास में पदस्थापित किया जाना चाहिए। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर कार्यालय, उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर के पद पर कार्यरत रहने दिया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ सहित वेतन भुगतान के आदेश वर्तमान पदस्थापित स्थान से करवाये जाने के आदेश फरमावे।
4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस को सुना गया।
5. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

6. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पटवारी के पद पटवार मंडल नेवदाकलां, तहसील केकड़ी जिला अजमेर में दिनांक 04.11.1999 को हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.08.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार, सुमेरपुर, पाली से कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार, एसडीएम कार्यालय, करेड़ा, भीलवाड़ा में रिक्त पद पर किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार, झाडोल जिला उदयपुर में किया गया है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

7. अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय में **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:–

"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

9. आदेश आज दिनांक ..... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)